

पंचायती राज व्यवस्था की उपादेयता, उभरती चुनौतियाँ एवं उनका निराकरण / समाधान

सारांश

लोकतन्त्र (प्रजातन्त्र) दुनिया की सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है। लोकतन्त्र की पहली सीढ़ी पंचायती राज है जिसमें सत्ता का विकेन्द्रीकरण होता है। आम नागरिकों को सत्ता में सहभागिता का अवसर मिलता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए 73वाँ संविधान संशोधन मील का पत्थर साबित हुआ है, इससे पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला, अधिकार व शक्तियाँ प्राप्त हुईं। पंचायती राज व्यवस्था सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय, समानता, वास्तविक लोकतन्त्र की भावना स्थापित करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। जिससे राजनीतिक जागरूकता, नेतृत्व की क्षमता का विकास होता है। तथा समाज के कमज़ोर वर्गों एवं महिलाओं का सशक्तिकरण होता है। आज पंचायती राज व्यवस्था के समक्ष कुछ चुनौतियाँ हैं जिससे पंचायती राज व्यवस्था कमज़ोर होती है लेकिन हमें पंचायती राज व्यवस्था के समक्ष उभरती चुनौतियों के समाधान के लिए व्यवित, समाज व सरकारों को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, इसके लिए आपसी विश्वास, समरसता, सजगता, सहयोगात्मक, विकासात्मक एवं ढौँचागत तरीके से कार्य करते हुए समस्याओं को खत्म करना है। सरकारों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का पर्याप्त वित्तीय अधिकार दिये जाने चाहिए। जिससे उनकी आर्थिक व वित्तीय स्थिति मजबूत हो सके। विकास व जनहित के कार्यों को सुगमतापूर्वक कर सके।

मुख्य शब्द : लोकतन्त्र, पंचायती राज, संविधान, विकेन्द्रीकरण, सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास।

प्रस्तावना

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है जिसमें विश्व की सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लोकतन्त्र की पहली सीढ़ी पंचायती राज है। जिसमें सत्ता का विकेन्द्रीकरण होता है, आम जनता को सत्ता में भागीदारी का अवसर मिलता है एवं ग्रामीण परिवेश में जीवन जीने वाली देश की बहुसंख्यक आबादी को अपना चहुमुँखी विकास करने की प्रेरणा व चेतना जागृत होती है। जिससे व्यक्ति देश की मुख्य राजनीतिक धारा से जुड़कर अपनी सहभागिता निभाता है। भारत के प्राचीन राजनीतिक चिंतन में हमें सत्ता के विकेन्द्रीकरण के रूप का उल्लेख मिलता है। जिसमें वैदिक साहित्य, विभिन्न विद्वानों द्वारा रचित स्मृति ग्रन्थ, रामायण, महाभारत तथा मौर्यकाल आदि में पंचायतों का वर्णन मिलता है। महान राजनीतिक विचारक कौटिल्य ने अपनी कृति अर्थशास्त्र में सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर बल देते हुए राज्यों को स्थानीय ईकाईयों के गठन की बात कही है।

भारत में ग्राम पंचायतें प्राचीन काल से चली आ रही है जिसमें गॉव के निश्चित परिवारों के व्यक्तियों के पास यह पद होता था जिन्हें पंच परमेश्वर का नाम दिया जाता था। गॉवों के जितने विकास के मुद्दे व आपसी वाद विवाद, लड़ाई – झगड़े होते थे उन सबका निर्णय ये पंच ही करते थे। पंच का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा न होकर वंशानुगत होता था। भारतीय शासन अधिनियम 1935 में सत्ता का विकेन्द्रीकरण करते हुए प्रान्तीय स्वायत्तता व स्वराज्य की व्यवस्था की गई जिसमें शासन की कुछ बागड़ोर भारतीयों के हाथों में आ गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर जोर देते हुए ग्राम स्वराज्य की स्थापना पर बल दिया। गांधीजी का मत था कि भारत की आत्मा गॉवों में बसती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के भाग-4 में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में यह उल्लेख किया है कि ‘राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा

और उनको ऐसी शक्तियों एवं अधिकार प्रदान करेगा जिससे वे स्वायत्त शासन की इकाईयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।' प्राचीन काल से भारत में पंचायतों का रूप दिखाई देता है लेकिन जनता को मतदान व चुनाव लड़ने का अधिकार स्वतन्त्रता (1947) के बाद मिला है। भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज की व्यवस्था की जिसमें पंचायती राज व्यवस्था में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा जन प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाता है।

भारत में लोकतन्त्र की सफलता व उसे वास्तविक धरातल पर लाने के लिए सत्ता का लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण कर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान की सातवी अनुसूची के सूची-2 राज्य सूची में है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 के द्वारा भारत में सत्ता के लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में कार्य किया। पंचायती राज को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने अनेक समितियों का समय-समय पर गठन किया। जिनमें बलवन्त राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, हनुमन्त राव समिति 1983, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986, आदि समितियों का गठन किया। भारत में महात्मा गांधी के मानव कल्याणकारी विचारों व पंचायतीराज को मजबूत करने के लिए 73 वाँ संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया जिसमें भारतीय संविधान में भाग-9 नया जोड़ा तथा संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायतों से सम्बन्धित प्रावधान किये तथा ग्यारहवीं अनुसूची(29 विषय) जोड़ी गयी। 73 वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए पंचायतों का गठन, निर्वाचन प्रक्रिया, अधिकार व शक्तियों का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 243 क से 243 ण तक पंचायती राज के गठन, निर्वाचन प्रक्रिया, शक्ति व अधिकारों के बारे में विभिन्न उपबन्ध किये गये हैं। अनुच्छेद 243 खं में पंचायती राज की त्रिस्तरीय (ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद) व्यवस्था का प्रावधान किया गया। तथा जन प्रतिनिधियों के प्रत्यक्ष निर्वाचन के साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। पंचायतों के सुगम व निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन (अनुच्छेद 243 झ.) व वित्तीय संसाधनों के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन की बात कहीं है ग्राम सभा को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई। अनुच्छेद 243 छ में पंचायतों की शक्तियों, अधिकार एवं उत्तरदायित्वों का उल्लेख किया गया है। जिसमें आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाना तथा ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लेखित विषयों को क्रियान्वित करना है।

पंचायती राज का उद्देश्य, उपयोगिता / महत्व

पंचायती राज एक ऐसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है जिसमें समाज व गाँवों की विभिन्न समस्याओं का वे लोग स्वयं या अपने चुने गये जन प्रतिनिधियों के माध्यम से उनका समाधान करने के प्रयास करते हैं। वे स्वयं अपनी योजनाएं बनाते हैं एवं उन्हें क्रियान्वित कर

गाँवों के लोगों के दुःख दर्द को समाप्त कर उन्हें सुख व समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय, समानता, वास्तविक लोकतन्त्र की भावना स्थापित करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। पंचायती राज व्यवस्था में जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनावों में मतदान करके एवं चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लेकर चुनाव लड़कर अपना योगदान देती है। जिससे उनमें नेतृत्व की क्षमता का विकास होता है एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था एवं विश्वास पैदा होता है। राजनीतिक उथल पुथल व अंशाति पर नियंत्रण लगता है जनता राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करने में अपना योगदान देती है। पंचायती राज व्यवस्था से सामाजिक ढाँचे में सुधार का आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिलता है। आज पंचायती राज व्यवस्था से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों व महिलाओं में जागरूकता उत्पन्न हुई है। ये वर्ग सदियों से समाज व राजनीतिक व्यवस्था से कटे हुए थे। इन्हें पूर्ण रूप से समाज में सक्रिय रूप से कार्य करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। वैसे तो भारतीय संविधान के भाग तीन में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के माध्यम से भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से सभी अधिकार प्रदान किये गये हैं। लेकिन पंचायती राज में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का प्रावधान कर इन्हें सशक्त बनाया गया है। समाज में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों के साथ जाति व वर्ग के आधार पर कुछ साधन सम्पन्न लोगों द्वारा उन्हें गॉव के विकास से दूर रखा जाता तथा उनके साथ भेदभाव किया जाता था। जिससे वे समाज की मुख्य धारा व विकास से अलग हो रहे थे। इन सब बुराईयों पर पंचायती राज व्यवस्था से नियंत्रण लगा है। क्योंकि आज इन जातियों के लोग चुनाव जीत कर सत्ता में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। एवं समाज की मुख्य धारा से जुड़कर समानता का जीवन जी रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था से गॉवों का चहुंखी विकास हो रहा है। आज पंचायती राज संस्थाओं के पास गॉवों की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़े सभी कार्य हैं। जिससे पंचायती राज का महत्व बहुत अधिक है। ग्रामीण स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराना, गरीब परिवारों को पक्के आवास व शौचालय की व्यवस्था करना, ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, दुर्गम व पिछड़े इलाकों की ग्राम पंचायतों को मुख्य मार्ग से जोड़ना, पक्की सड़क तैयार कराना, गॉवों में शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करना, कृषि के विकास के लिए सिंचाई के साधनों की व्यवस्था आदि कार्य पंचायती राज के माध्यम से किये जा रहे हैं। गरीब परिवारों को बी0पी0एल0 सूची में शामिल कर उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की जा रही है। मनरेगा के माध्यम से गॉव के बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। जिससे लोगों का गॉवों से पलायन रुका है परिणामस्वरूप शहरों में जनसंख्या का दबाव कम हुआ है। महिला व बच्चों के लिए ऑगनबाड़ी केन्द्र खोले जा रहे हैं। आज पंचायतों के माध्यम से राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन योजना से गॉव के निम्न आय वर्ग के बृद्ध लोगों को पेंशन दी जा रही है।

आज पंचायती राज संस्थाएँ गॉवों के विकास व समृद्धि में मील का पत्थर साबित हो रही है आज पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है। जिससे समाज में भाईचारा बढ़ा है। समय व धन की बचत होती है। पंचायतों के माध्यम से ही केन्द्रीय योजनाओं को देश में आसानी से सफल बनाया जाता है राष्ट्र निर्माण के कार्यों को किया जाता है। पंचायतों के माध्यम से सरकारी मशीनरी पर नियंत्रण रहता है। उनको जन प्रतिनिधियों के सहयोग से गॉवों के विकास व राष्ट्र निर्माण के कार्य करने होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था लोकतन्त्र की प्रथम पाठशाला है क्योंकि यहाँ व्यक्ति राजनीतिक प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। वह चयन प्रक्रिया को व्यवहार में देखता है व सीखता है। जिससे राजनीतिक गुणों का विकास होता है। सत्ता का विकेन्द्रीकरण वास्तविक रूप से पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ही होता है क्योंकि केन्द्र सरकार व राज्य सरकारें अपने अधिकारों का हस्तान्तरण पंचायतों को कर देती है और पंचायतों अपना कार्य सुगमतापूर्वक करती है। इससे देश में वास्तविक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होती है। एवं केन्द्र सरकार व राज्य सरकार निरंकुश नहीं हो सकती है। पंचायती राज व्यवस्था से लोगों में राजनीतिक व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का मौका मिलता है जिससे उनमें राजनीति के प्रति रुचि बढ़ती है तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था बढ़ती है जिससे लोकतन्त्र मजबूत होता है। लोकतन्त्र मजबूत होगा तो देश की एकता व अखण्डता मजबूत होगी। देश में अराजकता व निरंकुशता खत्म होगी। देश उन्नति करेगा। देश के अन्दर अमन व चैन होगा। शांति व अहिंसा का वातावरण होगा। आतंकवाद, नक्सलवाद, क्षेत्रीयतावाद, पृथक्तावाद जैसी समस्याएँ देश में पैदा नहीं होगी। राष्ट्र प्रगति व उन्नति की नई ऊँचाईयों पर पहुँचेगा।

पंचायती राज से महिला सशक्तिकरण हुआ है। विशेष कर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिला वर्ग। क्योंकि भारतीय समाज में सदियों से महिलाओं को अधिकांशतः घर की चार दीवारी में रखा गया था। राजनीतिक सत्ता से अलग। लेकिन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में महिलाओं को पुरुषों के समाज अधिकार मिले जिसे पंचायती राज के माध्यम से मूर्ति रूप प्रदान किया गया है। इससे महिलाओं में राजनीतिक चेतना बढ़ी है एवं नेतृत्व क्षमता का विकास हुआ है। नई ऊर्जा व शक्ति मिली है। संविधान द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया (वर्तमान में राजस्थान में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण है) इस तरह महिलाओं को राजनीति में सहभागिता का पर्याप्त अवसर मिला है। पंचायती राज व्यवस्था से गॉवों में लगातार अपनी सामाजिक व आर्थिक दबंगता के बल पर सत्ता पर अपना अधिकार रखने वाले वर्ग के वर्चस्व में कमी आई है। पंचायती राज व्यवस्था की कमियों या चुनौतियों:- पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र का आधार स्तम्भ है लेकिन आज इसके समक्ष अनेक चुनौतियों पैदा हो गई हैं जिसमें भ्रष्टाचार एक मुख्य चुनौती है क्योंकि विकास कार्य

के लिए जो धन राशि गॉवों के विकास के लिए आती है उसका अधिकांश हिस्सा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाता है और गरीब जनता तक उसका बहुत कम हिस्सा पहुँच पाता है। हर जगह कमीशन खोरी का खेल चलता है। भ्रष्टाचार की एक चेन बनी हुई है जिससे विकास कार्य रुक जाते हैं। एवं गरीब को उसके हक से वंचित कर दिया जाता है। आज भ्रष्टाचार समाज को बर्वाद कर रहा है। भाई भतीजावाद से आज जन प्रतिनिधि अपने परिवार व रिश्तेदारों को येनकेन प्रकारण अवैधानिक रूप से फायदा पहुँचाते हैं एवं गरीब, बेसहारा लोगों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। गरीब के हक को मारकर साधन सम्पन्न लोग उसका लाभ उठाते हैं। जिससे समाज का विकास अवरुद्ध हो रहा है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कमजोर हो रही है। आज भी भारत में लोग पंचायती राज चुनावों में जाति, गोत्र, वर्ण, धर्म के आधार पर मतदान करते हैं। वे योग्य, ईमानदार, सेवाभावी व समाज को समर्पित व्यक्ति के स्थान पर अपनी जाति व धर्म के व्यक्ति को अपना मत देते हैं। जिसका दुष्परिणाम यह होता है कि योग्य व ईमानदार व्यक्ति चुनाव हार जाता है तथा अयोग्य व्यक्ति चुनाव जीत जाता है। जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होती है एवं गॉवों में जाति व धर्म के नाम पर लोगों के बीच वैमनस्य व अलगाव बढ़ता है जिससे गॉव में भाईचारा व सहयोग की भावना कम होती है। पंचायतों आज दलगत राजनीति से पीड़ित हैं, आज पंचायतों में दलबन्दी के कारण झगड़े होते हैं विकास के कार्य प्रभावित होते हैं। गॉवों का अमन व चैन समाप्त होता है लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं।

भारत में शत प्रतिशत मतदान नहीं होता है कुछ लोग मतदान केन्द्र पर जाकर मतदान नहीं करते वे सोचते हैं कि मेरे द्वारा मतदान नहीं करने से क्या होगा। लेकिन ऐसे उदासीन मतदाता के कारण ईमानदारी से चुनाव नहीं हो पाता है। उदासीन मतदाता के मत का कोई दूसरा व्यक्ति मत डाल देता है जिससे फर्जी मतदान होता है एवं भ्रष्ट व अयोग्य व्यक्ति चुनाव जीत जाते हैं। पंचायती राज चुनावों में कुछ लोग बाहुबल व धनबल के आधार पर चुनाव जीत जाते हैं क्योंकि कुछ दबंग व साधन सम्पन्न लोग गरीब व कमजोर वर्ग के लोगों को मतदान करने से रोकते हैं। या डरा धमका कर मत देने के लिए दबाव बनाते हैं। कुछ लोग गरीब व कमजोर वर्ग के लोगों को पैसे का लालच देकर उनका मत खीरीद लेते हैं जिसका दुष्परिणाम होता है कि भ्रष्ट, आपराधिक प्रवृत्ति के असामाजिक तत्व चुनाव जीत जाते हैं उनको जनता व गॉव की समस्याओं से कोई वास्ता नहीं होता है उनका मात्र एक लक्ष्य होता है भ्रष्टाचार फैलाकर सरकारी खजाने को लूटना व दौलत कमाना होता है। जिससे उनकी निरंकुशता बढ़ती है जिसका दुष्परिणाम होता है गरीब, कमजोर वर्ग व महिलाओं का शोषण एवं इस वर्ग के लोगों के मानवाधिकारों का हनन। पंचायती राज संस्थाओं में कुछ व्यक्ति(स्वयं, पत्नी या रिश्तेदार) अपनी सामाजिक छवि व धनबल से चुनाव तो जीत जाते हैं लेकिन वे गॉवों में निवास न कर बड़े शहरों में रहते हैं। व कभी-कभी ग्राम पंचायतों को बैठकों में जाते हैं। गॉवों के

विकास में कोई रुचि नहीं रखते हैं ऐसे व्यक्तियों को समाज के विकास व उसकी समस्याओं से कोई सरोकार नहीं होता है। उनका मात्र एक उद्देश्य होता है समाज में अपनी दबंगता स्थापित करना व धन कमाना। आज पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है जिसके माध्यम से महिलाएँ चुनाव जीत कर तो आ जाती है लेकिन अधिकांशत वास्तविक सत्ता उसके पति या रिश्तेदारों के ही हाथों में होती है जिन महिलाओं के पति व रिश्तेदार पहले से राजनीतिक पृष्ठभूमि के होते हैं। उनका हस्तक्षेप प्रतिनिधि महिला के कार्यों में ज्यादा होता है। क्योंकि ऐसी महिलाओं का निर्वाचन वे अपने राजनीतिक पृष्ठभूमि के आधार पर करवाते हैं। तथा पर्दे के पीछे से शासन करते हैं। और वे नाममात्र की जन प्रतिनिधि बनकर रह जाती है। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण आज भी कुछ महिलाएँ पुरुषों के सामने बैठने से हिचकती है विशेष रूप से कमजोर वर्ग की महिलायें। कई महिलाएँ घृघट में रहती हैं। महिलाओं के सामने राजनीतिक अनुभव की कमी भी प्रमुख चुनौती है।

पंचायती राज में चुनावों के समय गाँवों में अनेक गुट बन जाते हैं गुटबन्दी को आधार बनाकर चुनाव लड़ते हैं। अपने गुटों की किलाबन्दी कर येनकेन प्रकारेण चुनाव जीतना चाहते हैं। जब ये चुनाव जीत जाते हैं तो जीते हुए जनप्रतिनिधि अपने गुट के दबाव में कार्य करते हैं वे अपना स्वतन्त्र निर्णय नहीं ले पाते हैं अपने गुट के दबाव में अवैधानिक कार्य करते हैं तथा विपक्षी गुट के विकास कार्यों में रोडे डालते हैं तथा उन्हें प्रताडित करते हैं जिससे समाज व गाँवों में असुरक्षा, हिंसा व भय का वातावरण पैदा होता है। गुटबन्दी के कारण बैठकों में विकास कार्य के प्रस्ताव पारित नहीं हो पाते। विकास कार्यों में रुकावट डालते हैं। झूठी शिकायते करते हैं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने की धमकी देते हैं। आज गाँवों में अनेक समस्याएँ एवं उन समस्याओं के समाधान में सबसे बड़ी बाधा धन की कमी व वित्त का अभाव है। संविधान में पंचायती राज संस्था के लिए वित्तीय स्रोतों की व्यवस्था का प्रावधान किया है जिससे ग्राम पंचायतें अपने स्तर पर विभिन्न कर लगाकर धन अर्जित कर सकती हैं। लेकिन ये सीमित है। आज भी पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकार व केन्द्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। आज भी भारत में नौकरशाही का तानाशाही पूर्ण रवैया बना हुआ है अगर कोई जनप्रतिनिधि कम पढ़ा लिखा व कम अनुभवी है तो सरकारी कर्मचारी उसे सहयोग नहीं करते विशेष रूप से कमजोर वर्गों के जनप्रतिनिधियों को एवं अपनी मर्जी से जनप्रतिनिधियों से कार्य करवाते हैं। सरकारी योजनाओं की सही जानकारी जनप्रतिनिधियों व जनता को नहीं देते हैं। व फाइलों को दबा कर बैठ जाते हैं। जिन सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है।

पंचायती राज व्यवस्था की समस्याओं का समाधान एवं मजबूत बनाने के लिए सुझाव

पंचायती राज व्यवस्था लोकतन्त्र को वास्तविक धरातल पर लाने की प्रथम पाठशाला है। क्योंकि इसमें

समाज के सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता निभाते हैं आज इसके सामने कुछ चुनौती या समस्या पैदा हो गई है। जिनका निदान अति आवश्यक है जिसके लिए व्यक्ति, समाज व सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में आज भी फर्जी मतदान की एक समस्या है एवं गरीब, कमजोर वर्गों के लोगों को कुछ दबंग, बाहुबली व असामाजिक तत्वों के द्वारा मतदान करने से रोका जाता है। आज भी समाज का कुछ हिस्सा मतदान में रुचि नहीं रखता जिससे ऐसे लोगों के मतों को समाज के दबंग व असामाजिक लोग फर्जी मतदान कर डाल देते हैं। इन सब गैर कानूनी गतिविधियों पर नियंत्रण लगाना चाहिए। फर्जी मतदान पर नियंत्रण अति आवश्यक है इसके लिए सभी नागरिकों को अपना मत अनिवार्य रूप से देना चाहिए। नागरिकों को मताधिकार का महत्व बताना चाहिए। जो व्यक्ति फर्जी मतदान करते हैं ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ एक जुट होकर समाज के लोगों को लड़ा चाहिए व सरकार को तुरन्त कार्यवाही कर कानूनी प्रक्रिया से दण्डित करना चाहिए। गरीब व कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षा प्रदान करें उनके अन्दर भय व डर को समाप्त कर मतदान करने के लिए प्रेरित करें। मतदान के प्रति लोगों में चेतना जागृत करनी होगी। मतदान का महत्व समझाना होगा। फर्जी मतदान पर पूर्ण पाबन्दी या प्रतिबन्ध लगाना होगा। चुनावों में विशेष परिस्थिति को छोड़कर मतदान करना अनिवार्य करने की आवश्यकता है। मतदाताओं को अपनी जाति, वर्ग, लोभ, लालच छोड़कर व भयमुक्त होकर ईमानदार, सदगुणी, विकास कार्यों में रुचि रखने वाले, गाँवों में स्थायी रूप से रहने वाले व्यक्ति को मत देकर विजयी बनाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के सामने एक चुनौती आपसी ईर्ष्या, द्वैष, प्रतिस्पर्द्धा, दलगत राजनीति एवं गुटबाजी है जो ग्रामीण समाज व पंचायती राज संस्थाओं के लिए घातक है। अतः इन सब पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। इसके लिए आपसी विश्वास, समरसता, सहयोगात्मक, विकासात्मक एवं ढाँचागत तरीके से नियंत्रण लगाकर इसे रोकना होगा। जनता द्वारा निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को सत्ता के अंहकार में अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए बल्कि ईमानदारी, पारदर्शी व वैधानिक रूप से मिलजुल कर प्रशासनिक व विकास के कार्य करने चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं में दोषी अधिकारी व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ निष्पक्ष, त्वरित व पारदर्शितापूर्वक उचित कार्यवाही करनी चाहिए इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव व संकीर्णता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दलगत राजनीतिक फैसले से लोकतन्त्र की इस पवित्र प्रथम पाठशाला पर घातक प्रभाव पड़ता है। सरकारों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय अधिकार दिये जाने चाहिए जिससे उनकी आर्थिक व वित्तीय स्थिति मजबूत हो सके व विकास के कार्यों को सुगमता से पूर्ण कर सकें। पंचायतीराज व्यवस्था की सफलता में सबसे बड़ा संकट है समाज में आर्थिक विषमता व गरीबी। अतः हमें आर्थिक विषमता व गरीबी पर नियंत्रण लगाना होगा। समाज के सूदखोरों से गरीब जनता को बचाना होगा। इसके लिए हमारी सरकारें किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को नाम मात्र

की व्याजदर पर बैंक ऋण उपलब्ध करा रही है। इस योजना का लाभ ग्रामीण जनता को मिल सके इसके लिए पंचायती राज संस्था को सहयोगी व मार्गदर्शक की भूमिका अदा करनी चाहिए।

पंचायती राज में महिला आरक्षण की व्यवस्था की गई है जिससे महिलाएँ भी राजनीति में सहभागिता निभा सकती हैं। महिलाएँ अच्छा कार्य कर रही हैं लेकिन आज भी अधिकांशतः कार्य उनके पति, पुत्र या रिश्तेदार करते हैं। जिससे कार्य में पारदर्शिता की कमी आती है। जिस पर नियंत्रण होना चाहिए। महिला जन प्रतिनिधियों को स्वयं कार्य करना चाहिए। युवा महिलाओं को चुनावों में आगे आना चाहिए। महिलाओं को इसके लिए सशक्त, प्रशिक्षितएवं प्रेरित करना चाहिए। पंचायती राज संस्था में निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को सरकार द्वारा समय पर प्रशिक्षण, मार्गदर्शन व सहयोग दिया जाना चाहिए। क्योंकि जो जन प्रतिनिधि चुनाव जीत कर आते हैं। उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला, गरीब व ग्रामीण परिवेश के लोग होते हैं जिन्हें सरकारी प्रक्रिया व सरकारी योजनाओं की सही जानकारी नहीं होती। जिसका फायदा सरकारी कर्मचारी व अधिकारी उठाते हैं जिससे वे सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाते एवं कार्य करने में हिचकते हैं। क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं गलत कार्य नहीं हो जाये इसलिए उनको समय समय पर प्रशिक्षण व उचित मार्गदर्शन मिलना चाहिए। सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों के लिए भी प्रशिक्षण देना चाहिए। क्योंकि प्रशिक्षण से नवाचार नया ज्ञान, कार्य करने की क्षमता का विकास, कार्य करने की कानूनी प्रक्रिया का अनुभव, प्रशासनिक कुशलता, कार्य करने की भावना का विकास होता है। पंचायती राज संस्थाओं में आज जनप्रतिनिधियों व सरकारी कर्मचारी, अधिकारियों को अपने—अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर कार्य करना चाहिए। एक—दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। किसी बात को प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनाकर सौहार्दपूर्ण तरीके से लोककल्याण के विकास कार्य सहयोग की भावना से करने चाहिए।

निष्कर्ष

भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए 73 वॉ संविधान संशोधन मील का पत्थर साबित हुआ है। इससे पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला, अधिकार व शक्तियों प्राप्त हुई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता, चेतना की भावना जागृत हुई। यह वर्ग सदियों से राजनीतिक सत्ता से दूर रहा था। जिसे राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़कर तथा इन्हें अधिकार प्रदान कर वास्तविक लोकतात्रिक शासन व्यवस्था को धरातल पर उतार कर इसे मजबूत एवं सुदृढ़ किया गया। जिससे लोगों में लोकतात्रिक शासन में विश्वास व आस्था बढ़ी है। लोकतन्त्र ग्रामीण क्षेत्र में पहुँच कर आम जनता की झोपड़ी तक पहुँच गया है। जिससे लोगों में राजनीतिक नेतृत्व की क्षमता का विकास हुआ, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी, लोकतन्त्र की पवित्रता बढ़ी, राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ी है। लोगों की लोकतात्रिक शासन में विश्वास व आस्था बढ़ी है। पंचायती

राज व्यवस्था से लोकतन्त्र मजबूत हुआ है। शोषणकारी व दमनकारी नीतियों का अन्त हुआ है। समाज के कमजोर वर्गों व महिलाओं का उत्थान व सशक्तिकरण हुआ है। जहाँ स्थानीय शासन होगा व लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण होगा। उस देश में वास्तविक लोकतन्त्र होगा। क्योंकि लोकतन्त्र का वास्तविक रूप पंचायती राज व्यवस्था में होता है। केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों द्वारा सरकारी अनुदान व सहायता मात्र से पंचायती राज वास्तविक रूप से मजबूत नहीं होगा इसके लिए केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों को त्याग व सहयोग की भावना से कार्य करते हुए पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से वित्तीय अधिकारों को हस्तांत्रित करने की महत्ती आवश्यकता है। क्योंकि जनसाधारण का विकास ही राष्ट्र का विकास है। पंचायती राज व्यवस्था के समक्ष कुछ चुनौतियों उभर कर आयी हैं लेकिन इन समस्याओं व चुनौतियों का समाधान जनसहयोग, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, ईमानदारी, कर्तव्य की भावना, आपसी विश्वास, सामंजस्य की भावना से संभव है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. माहेश्वरी, एस०आर० — भारत में स्थानीय शासन लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा।
2. बाबेल, बसंतीलाल— पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास योजनाएँ, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
3. पैंचायती राज और ग्रामीण विकास, वलासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली।
4. जोशी, आर०पी० व मंगलानी, रूपा —भारत में पंचायतीराज, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
5. शर्मा, अशोक — भारत में स्थानीय प्रशासन, आर०बी०एस०ए० पब्लिशर्स, जयपुर।
6. मोदी, अनिता — पंचायती राज एवं महिला सशक्तिकरण, बुक एनक्लेव, जयपुर।
7. शर्मा, कौर० कौर० — भारत में पंचायती राज, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर।
8. पूरण मल नवीन पंचायती राज एवं महिला नेतृत्व पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर।
9. मिश्र, निरंजन — भारत में पंचायती राज आइडियल प्रिन्टिंग प्रेस, जयपुर।
10. व्यास, आशा — पंचायती राज में महिलाएँ पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर।
11. फडिया, बी०एल० — भारत में लोक प्रशासन, साहित्य भवन, आगरा।
12. शर्मा, रविन्द्र — ग्रामीण स्थानीय प्रशासन प्रिन्ट्वैल पब्लिशर्स, जयपुर।
13. पंचायत राज अपडेट — नई दिल्ली।
14. भारत का संविधान, 73 वॉ संविधान संशोधन।
15. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994।
16. दैनिक भास्कर— दैनिक समाचार पत्र, जयपुर।
17. राजस्थान पत्रिका — दैनिक समाचार पत्र, जयपुर।